ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-12* January- 2021
Innovation The Research Concept

महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थितिः राजनैतिक सशक्तिकरण के परिपेक्ष्य में

Current Status of Women Empowerment in The Context Of Political Empowerment

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

के. पी. आजाद
विभागाध्यक्ष,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय
रामपुर नैकिन, सीधी,
म.प्र., भारत

सारांश

भारत में शिक्षा एवं विकास के अवसर जैसे–जैसे महिलाओं को प्राप्त होने लगे, उनकी सामाजिक सहभागिता बढने लगी। पाश्चात्य संस्कृति औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार के साधनों के विकास, सरकारी प्रयत्नों ने उन्हें मुख्य धारा से जुडने में सहयेाग प्रदान किया।आज की युवतियों का आदर्श इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला, नही ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी आदि है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नही है, जहॉ स्त्रियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नही कराई हो। इन सभी परिस्थितियों का बारीकी से विष्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यदि महिलाओं को समर्थ बनाना है तो महिलाओं को दबाकर रखने वाली ताकतों के खिलाफ निरंतर सामूहिक संघर्ष को एक सतत् प्रकिया बनाना होगा। सामाजिक, राजनैतिक, आार्थिक, बौद्धिक, और सांस्कृतिक और जो भी संसाधन समाज के पास है, उनमें महिलाओं को बराबर का हक मिल सके। इस गंभीरतापूर्वक अमल में लाया गया तो महिलाओं को सम्मानपूर्वक बराबरी से खडे होने का अधिकार मिल सकेगा।

As women started getting education and development opportunities, their social participation started increasing. Western culture, industrialization, urbanization, development of means of communication, government efforts, helped them to join the mainstream. The ideal of today's youth is Indira Gandhi, Kiran Bedi, Kalpana Chawla, Nahi Aishwarya Rai, Yukta Mukhi etc. It is also not an area where women have not made their presence felt. Upon closely analyzing all these circumstances, it is clear that if women are to be empowered, then the continuous collective struggle against the forces that keep women under control is a Continuous process has to be made. Social, political, economic, intellectual, and cultural and whatever resources the society has, women can get equal rights. If this is implemented in a meaningful manner, women will get the right to stand respectfully.

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, राजनैतिक सशक्तिकरण, सामाजिक एवं आर्थिक विकास।
Women Empowerment, Political Empowerment, Social And Economic Development.

प्रस्तावना

भारत की संस्कृति में प्राचीन काल से ही महिलाओं को सम्मान स्वरूप 'देवियो' का दर्जा दिया जाता रहा है,यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नही कि वैदिक युग समाज में महिला सम्मान व सशक्तीकरण का स्वर्ण युग था। याज्ञवलक्य जैसे महाविद्वान के पांडित्व के दंभ को शास्त्रार्थ की चुनौती देकर चूर करने वाली गार्गी सहित मैत्रेयी, घोषा, अपाला आदि विदुषियों की लम्बी श्रृंखला तत्कालीन युग में महिलाओं की समाज में गौरवशाली स्थिति बताने के लिये पर्याप्त हैं।

प्रेमचन्द्र ने अपने सामाजिक यथार्थ उपन्यास गोदान में नारी अस्मिता की रक्षा तथा अन्तर्जातीय विवाह द्वारा नारी सशाक्तिकरण की प्रकिया को विकसित करने का सफल प्रयास किया हैं। बीसवी सताव्दी के उत्तरार्द्ध में अपने उपन्यासें में सशक्त नारियों के साथ मैत्रेयी पुष्पा ने हिन्दी कथा साहित्य में प्रवेश किया और नारी सशक्तिकरण की प्रणेता बनकर उभरी। मैत्रेयी पुष्पा ने जिस अस्तित्व सजग स्त्री को अपने उपन्यासों में नायकत्व दिया, वह दृढ,

निश्चयी, साहसी, आत्मविश्वास व हवा का रूख बदलने की क्षमता रखती है। इनके उपन्यासों की नाारियॉ आर्थिक सामाजिक प्रश्नों के प्रति गम्भीर हैं।

आज संकट उन स्त्रियों पर भी है जिनके नैतिक मूल्य है, समाज में आदर सम्मान है, छवि है, पुरूष वर्ग उनकी छवि दूषित करने से भी नही चूकते है। इसमें बराबर की भागीदार महिलाएॅ भी है जो उन्हें हमेशा स्वयं से नीचा देखना चाहती है। इस तरह इस वर्ग की महिला अच्छा होने के बावजूद इस बात के लिए चिंतित है कि उसका सम्मान कैसे सुरक्षित बचे।

स्त्री सशक्तिकरण क्यो आवश्यक है?

किसी भी संतुलित समाजिक व्यवस्था के लिए विकास के क्षेत्र में स्त्री–पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। इस मॉड्यूल में महिला सशक्तिकरण के पीछे पुरुष या महिला की श्रेष्ठता साबित करना लक्ष्य नहीं है, अपितु उन उपायों को सुनिश्चित करने की पहल करना है जिससे विकास मानकों की प्राप्ति में महिलाएँ और पुरुष बराबर योगदान कर सकें। वातावरण लिंगभेद से रहित परस्पर पूरकता का हो। इस दृष्टि से महिला सशक्तिकरण के अनेक ऐसे आयाम हैं जिन पर प्रेरित और प्रोत्साहित करने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। आइये, सशक्तिकरण के कुछ आयामों को, उनके महत्व को समझने, स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध के अध्ययन द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति की जानी है कि महिलाओं के कल्याण हेतु महिलाओं के विकास का कोई क्षेत्र भी अधूरा न रह जायें इन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास का सतत् मूल्यांकन भी किया जाये।देश निर्माण की बात इससे बाहर होकर सोची ही नही जा सकती और स्त्री को निमार्ण में भागीदार बनाये बिना किसी देश का कल्याण संभव है, न विष्व का।

पूर्व में किये गये कार्यो की संक्षिप्त समीक्षा

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका विषय पर पूर्व में काफी लेखन कार्य किया गया है जिसमें कई राजनीतिज्ञों एवं समाजशात्रियों ने विवेचनाए की है। जिसमें डॉ. लक्ष्मीराजी कुलश्रेष्ठ (2001) ने अपने लेख में ''पंचायती राज और महिलाएं में लिखती है कि पंचायतीराज व्यवस्था महिला आरक्षण के परिणामस्वरूप अब महिलाओं की मनः स्थिति बदल रही है। वे अब अपना पक्ष पूरी निर्भीकता तथा निष्पक्षता से बैठक में रखने लगी है। बहरहाल पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से उन्हें जो नया परिवेश मिल रहा है। वह उनके लिये प्रगति और विकास के द्वार तो खोल रहा है। पुरूष तथा स्त्री के बीच समाज में जो सामाजिक विषमता है, उसमें भी कमी हो रही है।

भारतडोगरा (2001) अपने लेख ''सार्थक है महिलाओं का आरक्षण'' में निर्वाचित महिलाओं पर पारिवारिक दबाव से उत्पन्न तनावों के बारे में लिखते हैं कि राजनीतिक महत्वकांक्षा वाले पुरूष अपने परिवार की महिलाओं को अपनी निजी महत्वकांक्षा की दौड़ का साधन या मुखौटा मात्र बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ उठाकर उनके परिवार की महिला निर्वाचित हो, पर इसके आगे वे यह भी चाहते हैं निर्वाचित होने के बाद वे उनके दबदबे में उनके कहे अनुसार काम करें।

सुधापिल्लै (2002) ने ''पंचायतीराज द्वारा अधिकार संपन्नता'' में लिखती हैं कि संविधान के 73वें संशोधन से लगभग 10 लाख महिलायें त्रि–स्तरीय ढ़ांचे में सदस्य और अध्यक्ष पदों पर कार्यरत है। निश्चित ही इससे हाल तक ठहरें ग्रामीण समाज में बदलाव आया है। महिला आरक्षण की राजनीति शीर्षक में राजनाथ सिंह सूर्य ने स्पष्ट किया कि सभी राजनीति दल महिला आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं। पंचायतों की तरह विधानसभा तथा लोकसभा में पिछड़े वर्ग की महिला तथा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मुस्लिम सांसदों ने पहली बार आरक्षण की मांग की।

शुक्ला (डॉ) मंजु (2011)– लेखिका के अनुसार महिलाओं केस शक्तिकरण हेतु उनका साक्षर होना आवश्यक है जिसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है। इसे प्रचारित–प्रसारित किया जाना चाहिये। सशक्तिकरण कोई ऐसी स्थिति या वस्तु नही जिसे उपर से थोपा जा सके। सशक्तिकरण स्वयं के प्रयासों से प्राप्त होता है। जिसके लिए महिलाओं में चेतना जागृति आवश्यक है। कार्ल (1995) के अनुसार सशक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों है क्योंकि व्यक्तियो में समूह के माध्यम से ही जागृति आती है और उनमें स्वयं को संगठित कर क्षमताओं का विकास होता है।

सक्सेना वन्दना (2013)– इन्होने अपने लेख में महिलाओ सक्सेना वन्दना (2013)– ं को सषक्त बनाने के लिए पतनशील उपभोक्तावादी संस्कृति, रूढियॉ, अंधविश्वासों, कुपरम्पराओं को रोका जाना चाहिए जो महिलाओं के व्यक्तित्व विकास में बाधा हो और उनके सशक्तिकरणके मार्ग में रोडा हो। अगर पुरूष वर्ग संवेदनशीलता एवं संकल्प के साथ महिलाओं को सहयोग प्रदान करे तो महिलाएं खुद ब खुद सशक्त हो जाऍगी, तब शायद सशक्तिकरण वर्ष मनाना भी न पड़े। इसके लिए यह आवश्यक है कि पुरूष महिलाओं को प्रतिद्वंद्वी नही सहयोगी समझे। इसके लिए विभाग ने महिलाओं के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम व दिन घोषित किया है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण सार्थक सिद्ध हो सके।

शोध परिकल्पनाएँ

भारतीय स्वतंत्राता संग्राम में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। देष के राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं की बराबर और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के चुनाव में भी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। इसका परिणाम यह होता है कि आज महिलायें राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता और परिश्रम से मानक स्थापित कर रहीं हैं। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित है, लेकिन वर्तमान में उससे अधिक संख्या में महिला प्रत्याशी निर्वाचित होकर राष्ट्र को अपनी सेवाऐं दे रहीं हैं। राजनैतिक जागरूकता

और अवसर के आधार पर महिलाओं में बढ़ रही जागरूकता के दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम मिलना अवष्यंभावी है।

1. नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है।
2. सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा महिलाएँ अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होती हैं।
3. पूर्व के अनुभव इस तथ्य को बताते हैं कि महिला सशक्तिकरण के समान्य प्रयासों से दूरगामी और प्रभावित करने वाले परिणाम मिले हैं। अतः महिला सशक्तिकरण में हमारे प्रयासों का निवेश बेहतर भविष्य की गारन्टी है।

प्रस्तावित षोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक संमको का प्रयोग किया जाएगा। द्वितीयक संमको के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन, जनगणना प्रकाषन, सांख्यिकीय प्रकाषनो, स्वास्थ्य गत संमको, रोजगार संमको, सांख्यिकीय पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त आंकड़ो को द्वितीयक संमको के रूप में उपयोग कर उनके सारणीयण, विषलेषण के आधार पर प्रतिषत, विकास दर, प्रवृतिमान जैसे सांख्यिकीय विधियो का उपयोग कर तथ्यो का सार्थक प्रस्तुतीकरण के लिए ग्राफ, चार्ट व रेखाचित्रो का उपयोग कर निष्कर्षो को सार्थक ढ़ग से प्रस्तुत किया ह्वै।

विश्लेषण

विश्व इतिहास का पुनरावलोकन सहज रूप से इस तथ्य को सम्मुख लाता है कि मानव सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र महिलाओं 10 की ऊर्जा, क्रियाशीलता और रचनात्मकता पर आधारित रहे हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना सशक्त योगदान दिया है। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र। महिलाओं के लिये ये राह और भी कठिन हो जाती है। राजनीति में अपना स्थान बनाने की महत्वाकाँक्षा रखने 11 वाली महिलाओं के सामने कई ऐसी समस्याऐं भी होती हैं जिनका सामना उन्हें सिर्फ इसलिये करना पड़ता है क्योंकि वे एक 'महिला' है। महिलाओं की राजनीति में चुनौतियों और उसके स्वरूप को जानने के लिये हमें सर्वप्रथम नारीवादी जनआंदोलनों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जानना होगा ताकि महिलाओं की वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों का समांकलन किया जा सकता है।

महिलाओ की स्थिति में सुधार हेंतु इन नीतियॉ

महिलाओ की स्थिति में सुधार हेंतु इन नीतियों को पूरे देश में गंभीरता से लागू किया जाये–

1. नारी जीवन का अस्तित्व ओर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता।
2. समाज में महिलाओं की भरपूर सहभागिता सुनिश्चित करना एवं निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सशक्त करना।
3. महिलाओं का आत्म विस्त्रास औा समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढाना।
4. सभी क्षेत्रो में विकास के प्रयासेां का भरपूर लाभ उठाने के लिये महिलाओं को समर्थ बनाना।
5. आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भरपूर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना।
6. यह सुनिश्चित करना कि जीवन के सभी क्षेत्राो में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हो।
7. महिलाओं के मामले में समाज के रवैये में परिवर्तन लाना और उसे संवेदनशील बनाना।
8. महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और हिंसा की रोकथाम करना।

सुझाव

महिलाओं के अधिकारों हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं एवं महिलाएँ भी अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। हालाँकि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिये स्थानीय निकाय की एक–तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है लेकिन राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अन्य प्रयास किये जाने की भी आवश्यकता है। महिलाओं को लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33ः आरक्षण प्रदान करने संबंधी महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल पुस्थापित एवं पारित किये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि यह कदम महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि के संबंध में कोई ठोस आश्वासन प्रदान नहीं करता है किंतु राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिये यह ठोस कदम हो सकता है। विश्व के कई देशों में यह प्रावधान किया गया है जैसे– स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और फ्राँस आदि। राजनीति व अन्य विविध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि समाज में प्रत्येक स्तर पर महिला सशक्तीकरण तथा उनकी सामुदायिक भागीदारी के लिये प्रयास किये जाएँ ताकि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास हो।

उपसंहार

महिला सशक्तीकरण के लिये हमें हमारे प्रसार तन्त्र में बदलाव करना होगा जिससे उनका विकास हो तथा उनकी राहों में आने वाली बाधायें कम हों। इसके लिये हमे महिलाओं की मानसिकता एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन करना होगा। पुरूषों की महिलाओं के प्रति मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। गलत परम्पराओं को समाप्त करना एवं स्वस्थ व सकारात्मक समाज का निर्माण करना होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा उनकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना होगा। उनके सोचने समझने का नजरिया बदलना एवं पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा उनकी राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना होगा और प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करना होगा। इस प्रकार इस बदलाव के द्वारा ही महिलायें अपनी समस्याओं को दूर कर सकती है। यद्यपि महिलाओं की राजनीतिक डगर काफी पथरीली है, उनकी राह में काँटे ही काँटे बिछे है। परन्तु फिर भी कुछ

महिलाओं ने राजनीति में अपना स्थान बनाया है जो उनकी प्रगति को रेखांकित करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शुक्ला (डॉ.) मंजु (2011),महिला साक्षरता एव सषक्तिकरण, भारत प्रकाशन लखनउ, पेंज न. 8*
2. *सक्सेना वंदना (2013), महिलाओं का संसार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन दिल्ली, पेंज नं 179–180*
3. *सत्येन्द्र नाथ मजुमदार, विवेकानंद चरित्र, प्रकाशित 1971.*
4. *शरदचन्द्र चक्रवती, विवेकानंद जी के संग में, प्रभाव प्रकाशन, दिल्ली।*
5. *आर.सी. मजुमदार, द हिस्ट्र एण्ड कल्चर आफ द इण्डियन पीपुल, प्रकाशित Vol 2nd edition 1981 .k P-31*
6. *ओम प्रकाश, हिंदू विवाह, चतुर्थ संस्करण, विश्वविद्यालय प्रकाशन, नई दिल्ली, 1997, पृष्ठ 182–2001*
7. *प्रेम सहाय, हिंदू विवाह संस्कार, प्रभात प्रकाशन, प्रथम संस्करण 1995*
8. *राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, स्वामी विवेकानंद, व्यक्ति और विचार, प्रकाशक, दिल्ली 1971.*
9. *स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद साहित्य।*
10. *एम.के. गॉधी, मेरे सपनो का भारत।*
11. *डॉ. रानी, आशु (1999) महिला विकास कार्यक्रम, ईनाश्री पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ सं. 19*
12. *डॉ. कुलश्रेष्ठ, लक्ष्मी रानी, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर –नवम्बर 1997, पृष्ठ सं. 82*
13. *के.डी. ग्रोगेड, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन इण्डिया ए क्रिटिक (प्रोस्टीट्यूशन इन इण्डिया), 1995, पृ. सं. 185*
14. *वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ भारत–2005, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ.सं. 53*
15. *Agrawal; DS Leactures of Universe of Knowledge, Delhi, Academic Publication, 1985,P.72*
16. *Best;JW Research in Education, Delhi Pritice Hall & Co, 1963, P.k~ 86*
17. *सिंह (सोनल) ज्ञान जगत स्वरूप संरचना एवं विकास, भोपाल म.प्र. ग्रंथ अकादमी 1998, पृष्ठ 4*
18. *सक्सेना (एल.एस.) पुस्तकालय एवं समाज, भोपाल, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2004, पृष्ठ 4–5*